राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या–380/2014/बूंदी

1. सत्यनारायण पुत्र नत्थूलाल जाति महाजन निवासी अमर कटला बूंदी।
2. गोविन्द पुत्र नत्थूलाल जाति महाजन निवासी अमर कटला बूंदी।
3. श्रीमती मधु नुवाल पत्नी श्री भगवान नुवाल जाति महाजन निवासी अमर कटला बूंदी।
4. श्रीमती सरिता पत्नी स्वं. रमेश चंद जाति महाजन निवासी अमर कटला बूंदी।

...प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप–पंजीयक, बूंदी।
2. श्री अशोक कुमार पुत्र श्री देशराज निवासी बाहरली–बूंदी, तहसील बूंदी जिला बूंदी।

...अप्रार्थीगण

एकलपीठ

श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रोहित सोनी
अभिभाषक ....प्रार्थीगण की ओर से

श्री आर.के.अजमेरा
उप–राजकीय अभिभाषक ....अप्रार्थी सं. 1 की ओर से

अनुपस्थित ....अप्रार्थी सं. 2

निर्णय दिनांक : 19.05.2017

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थी द्वारा विद्वान कलक्टर (मुद्रांक) कोटा (जिसे आगे **'कलक्टर'** कहा गया है) के आदेश दिनांक 17.03.2011 प्रकरण संख्या 371/2008 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने उप–पंजीयक बूंदी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी सं. 2 श्री अशोक कुमार पुत्र श्री देशराज ने ग्राम छतरपुरा की जमाबंदी खाता संख्या 24 की आराजी खसरा संख्या 716 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, खसरा संख्या 717 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 718 रकबा 14 बिस्वा, खसरा संख्या 719 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 734 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, खसरा संख्या 735 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 736 रकबा 5 बिस्वा, खसरा संख्या 1865/737 रकबा 8 बिस्वा, कुल किता 8 कुल रकबा 20 बीघा 17 बिस्वा भूमि को 13,44,750/– में श्री राम राईस मिल्स जरिये पार्टनर प्रार्थीगण

लगातार.....2

सं 1 से 4 के पक्ष में विक्रय पत्र दिनांक 21.03.2005 को उपपंजीयक कार्यालय बूंदी में प्रस्तुत किया गया। उपपंजीयक ने दस्तावेज की मालियत 25,51,560/– रू मानी तथा मुद्रांक कर आदि वसूल कर दस्तावेज दिनांक 24.03.2005 को क्रम सं. 422 पर पंजीबद्ध कर पक्षकार को लौटा दिया। आन्तरिक लेखा जांच दल ने उपंपजीयक कार्यालय बूंदी के निरीक्षण के दौरान उक्त दस्तावेज सं. 422 दिनांक 24.03.05 पर निम्न आक्षेप लिया :–

दस्तावेज सं. 614 दिनांक 23.04.05 के अनुसार ख.नं. 719 का पुनः विक्रय हुआ है जिसमें मौका रिपोर्ट में विक्रित भूमि को एन एच 12 पर लक्ष्मी धर्मकांटा से ओवर ब्रिज तक 100 मीटर के अन्दर माना है। तथा दस्तावेज सं. 481 दिनांक 30.03.05 के द्वारा इसी विक्रेता ने इस खाता के शेष खसरा नं. 1844/714, 1846/720, 1847/721 का विक्रय इसी क्रेता को विक्रय किया गया जिमें मौका रिपोर्ट में विक्रित भूमि को एन.एच. पर लक्ष्मी धर्मकाटा से ओवर ब्रिज तक एनएच से लगती बताया है। अतः ख.नं. 719 मे उल्लेखित भूमि को एनएच पर 100 मीटर तक मानते हुए व शेष खसरों को 100 मीटर से 500 मीटर तक मानते हुए मालियत की गणना की जानी अपेक्षित है।

ख.नं. 719 रकबा 4.5 बीघादर 400000 प्रती	= 1800000
शेष राशि रकबा 16.10 बीघादर 310000 प्रती	= 4991000
आवासीय उपपंजीयक के अनुसार	= 165560
निर्माण उपपंजीयक के अनुसार	= 120000
	7076560

आक्षेपानुसार मालियत 7076560

देय मुद्रांक कर 566130	देय पंजीयन शुल्क 25000
दिया गया मुद्रांक कर 204130	दिया गया पंजीयन शुल्क 25000
अन्तर मुद्रांक कर 362000	अन्तर पंजीयन शुल्क –––––

उपरोक्त आक्षेप के आधार पर वसूलनीय राशि जमा नहीं कराये जाने पर उपपंजीयक बूंदी ने अधीनस्थ न्यायालय में रेफरेन्स प्रस्तुत किया तथा रेफरेन्स के अनुसार दस्तावेज की मालियत 7076560/– मानते हुए इस पर कमी मुद्रांक 362000/– रू. वसूल करने हेतु निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए अपने निर्णय दिनांक 17.03.2011 द्वारा रेफरेन्स स्वीकार किया तथा सम्पत्ति की मालियत 7076560/– मानते हुए इस पर कमी मुद्रांक 362000/– रू. शास्ति 3000/– कुल 365000/– रू वसूल किये जाने के आदेश दिये जिसके विरूद्व प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

लगातार.....3

3. निगरानी दर्ज की जाकर रिकार्ड व अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये। अप्रार्थी सं. 2 बावजूद तामील अनुपस्थित रहें।

4. बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की ओर से कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान मुद्रांक कर नियम 2003 के नियम 65 की पालना किये बिना रेफरेन्स को यथावत स्वीकार किया है जो विधिसम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में रेफरेन्स को स्वीकार करने के संबंध में कोई कारण भी अंकित नहीं किया है। निर्णय नॉन स्पीकिंग व नॉन रिजण्ड है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

6. राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है, अतः निगरानी खारिज की जावें।

7. हमनें पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

8. विचाराधीन प्रकरण में रेफरेन्स इस आधार पर था कि दस्तावेज सं. 614 दिनांक 23.04.05 के अनुसार ख.नं. 719 का पुनः विक्रय हुआ है जिसमें मौका रिपोर्ट में विक्रित भूमि को एन एच 12 पर लक्ष्मी धर्मकांटा से ओवर ब्रिज तक 100 मीटर के अन्दर माना है। तथा दस्तावेज सं. 481 दिनांक 30.03.05 के द्वारा इसी विक्रेता ने इस खाता के शेष खसरा नं. 1844/714, 1846/720, 1847/721 का विक्रय इसी क्रेता को विक्रय किया गया जिमें मौका रिपोर्ट में विक्रित भूमि को एन.एच. पर लक्ष्मी धर्मकाटा से ओवर ब्रिज तक एनएच से लगती बताया है। अतः ख.नं. 719 मे उल्लेखित भूमि को एनएच पर 100 मीटर तक मानते हुए व शेष खसरों को 100 मीटर से 500 मीटर तक मानते हुए मालियत की गणना की जानी अपेक्षित है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निगरानीधीन निर्णय दिनांक 17.03.2011 द्वारा रेफरेन्स यथावत स्वीकार किया है परन्तु रेफरेन्स को स्वीकार करने के संबंध में न तो कोई कारण अंकित किया है व न ही रेफरेन्स के तथ्यों के संबंध में कोई विवेचना या विश्लेषण किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान मुद्रांक नियम 2003 के नियम 65 के अन्तर्गत रेफरेन्स के तथ्यों के संबंध में कोई जांच नहीं की है। रेफरेन्स में मुख्य बिन्दु यह था कि प्रश्नगत दस्तावेज से संबंधित सम्पत्ति में से ख.नं. 719 की सम्पत्ति 100 मीटर के अन्दर है तथा शेष सम्पत्ति 500 मीटर के अन्दर

लगातार.....4

है, रेफरेन्स का यह बिन्दु मौका निरीक्षण के द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय रेफरेन्स के तथ्यों की जांच नही करने एवं विवेचना एवं विश्लेषण के अभाव में विधिसम्मत एवं नियमानुसार नहीं है तथा प्रकरण इस आधार पर प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है कि अधीनस्थ न्यायालय रेफरेन्स के तत्थ्यों के संबध में राजस्थान मुद्रांक नियम 2003 के नियम 65 के अन्तर्गत जांच कर विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए निर्णय पारित करें।

9. अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि निगरानीधीन निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया हैं तथा यदि प्रकरण में निगरानीधीन आदेश निरस्त किया जाकर प्रतिप्रेषित किया जाता है तो न्यायिक दृष्टिकोण से प्रार्थी को सुनवाई का भी समुचित अवसर मिल सकेगा।

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विवेचना–विश्लेषण सहित निर्णय पारित नही करने के कारण विधिसम्मत नही होने के कारण निगरानी आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निगरानीधीन आदेश दिनांक 17.03.2011 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे उभयपक्ष को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुए, राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 2004 के नियम 65 की पालना करते हुए पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए पुनः नियमानुसार एवं विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 03.072017 को पेश हों।

11. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य